न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/122/2025 दायर दिनांक 12/08/2025 रजि0 न0 2025/317

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री हरद्वारीलाल निवासी–ई–30 भूतल, प्रीत विहार नई दिल्ली–110092	लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 08.09.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 11.06.2025 के परिपेक्ष्य में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से संतुष्ट नहीं होने पर अपील प्रस्तुत कर सूचना चाही गई।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 19.08.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया तथा प्रत्यर्थी के जवाब पत्र संख्या यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2024/7706 दिनांक 27.08.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 11.06.2025 मे चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना पत्रांक 6593 दिनांक 01/08/2025 के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है।
6. प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पत्र दिनांक 27.08.2025 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रत्यर्थी द्वारा पत्र दिनांक 20.06.2025 व दिनांक 01.08.2025 के द्वारा आवेदक के आवेदन दिनांक 02/06/2025 के संबंध मे जवाब भिजवाने का अंकन किया हुआ है जबकि आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 11/06/2025 के संबंध मे अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना एवं प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना मे अंतर होना प्रतीत होता है।
7. अतः उक्त आलोक मे अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि आवेदक द्वारा अवेदन दिनांक 11/06/2025 में वांछित सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस मे पंजीकृत पत्र के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे।
8. आज दिनांक 08.09.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डा. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर